राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/03/2022 को संपन्न 402वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

–––00–––

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदिपुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 400वीं एवं 401वीं बैठक क्रमशः दिनांक 03/03/2022 एवं 04/03/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 400वीं एवं 401वीं बैठक क्रमशः दिनांक 03/03/2022 एवं 04/03/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बढ़ांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मड़ड़ा राम, आदिवासी हरिजन स्टोन क्रशर को–आपरेटिव सोसायटी), ग्राम–बढ़ांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 706)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74574/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/63600/2018, दिनांक 27/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान उल्लंघन की श्रेणी का है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बढ़ांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 207/13(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2019 द्वारा प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 16/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 17/06/2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिप्रेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मड़ड़ा राम, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन–टेक कन्सलटेन्टस की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ घायाने विडियो कान्फ्रेंसिंग

के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2766/ खनिज/ ख.लि.02/ खनिपट्टा/ 4/ 94 जगदलपुर, दिनांक 22/12/2018 के अनुसार वर्षवार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)	वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)
2001	4,937	2010	10,264.64
2002	13,311	2011	1,300
2003	8,654	2012	1,495.96
2004	5,831	2013	1,501
2005	9,082	2014	—
2006	6,474	2015	776
2007	3,803	2016	3,042.195
2008	6,333	2017	50
2009	5,719		

   iii. उत्खनन कार्य दिनांक 06/02/2018 से बंद है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़ांजी का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो–1156/ 2018/ रायपुर दिनांक 16/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2426/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 16/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 15.83 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए,

जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मड्डा राम के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी।

7. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, बस्तर सामान्य वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 2219, दिनांक 09/07/1999 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बड़ांजी 0.75 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-बड़ांजी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 1.25 कि.मी., इन्द्रावती नदी 2 कि.मी., नारंगी नदी 4 कि.मी. एवं मारकण्डी नदी 7.9 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,30,766 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,38,636 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2016-17	1,974 (Actual)
2017-18	0 (Actual)
2018-19	10,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 740 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार वेस्ट/डम्प को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में भंडारण किया जाएगा। साथ ही अनुमोदित माईनिंग प्लान में क्रशर का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर है, जो कि उपयुक्त प्रतिपादित नहीं होता है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में वेस्ट/डम्प क्षेत्र प्रस्तावित कर एवं क्रशर क्षेत्र का उल्लेख कर लेण्ड यूज पैटर्न के साथ संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.14 से 33.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.38 से 64.55 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.54 से 13.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.82 से 18.95 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 59.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 13/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – प्रेक्षण हॉल, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला–बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान क्षेत्र में घास चरते समय बैल गिर गया था एवं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी।

ii. पानी की व्यवस्था, मजदूरों की स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. पूर्व में हुई दुर्घटना हेतु मुआवजा दिया गया है। साथ ही ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इस हेतु खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग कार्य किया गया है। लेकिन प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग का कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पक्की फेंसिंग (आर.सी.सी. के खम्भे एवं कटीली तार से) पूर्ण करने के उपरांत ही किया जाएगा।

ii. सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती है। अतः इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एक्सेस रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. खदान के 7.5 मीटर क्षेत्र में (2,100 नग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा।

iii. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु कुल राशि 4,50,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (individual) इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मूला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= 74

Environment Compensation = 80x74x100x0.5x0.5 = Rs. 1,48,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,48,000 की गणना को मान्य किया गया।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रुपये का उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु

होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहां तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि अतिसंवेदित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम उन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।

6. लीज क्षेत्र की क्षमता वृद्धि एवं भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

7. क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उपखनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रिजर्वस की विस्तृत गणना को सम्मावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेक्टीफिकेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

9. जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

10. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं वर्षवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,48,000/- रूपये की बैंक गारंटी एवं सम्पादित कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

14. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मड़का राम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि माईनिंग प्लान का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो से होता है, जिसमें लगभग 3 माह का समय लगता है। अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान जमा करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला—बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2010/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 16.83 हेक्टेयर है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला—बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, नाला, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
4. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./1113 जगदलपुर, दिनांक 20/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी की दूरी पर है।
5. भू—जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. यह शासकीय भूमि है। लीज श्री मड़का राम के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एम.एम.डी.आर. एक्ट 2015 में संशोधन होने से लीज अवधि 50 वर्ष की गई है। चूंकि बढ़ाजी खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित होने के कारण लीज अवधि विस्तार की प्रक्रिया रूकी हुई है। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होते ही लीज डीड 50 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2049 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया जाएगा।
7. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है—

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 1.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हाउसमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Mainterance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु अनुमानित राशि 50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VI. कॉमन इन्हाउसमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 34,05,250/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- ड्रस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्हाउसमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 8,25,150/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- ड्रस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्हाउसमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- ड्रस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्हाउसमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 5,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्हाउसमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कॉमन इन्हाउसमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 3,15,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 7,65,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

8. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) एवं रिजवर्स की विस्तृत गणना कर माईनिंग प्लान का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो से कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। अतः संशोधित माईनिंग प्लान जमा करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। अतः नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

9. जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में उल्लंघन नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग शासकीय प्रायमरी स्कूल, बरांजी एवं शासकीय अपर प्रायमरी स्कूल, तराईभाटा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया।

Activity	Amount
Rain water Harvesting in Govt. Primary School Baranji	81,300
Rain water Harvesting in Govt. Upper Primary School Trabhata	87,100
Total	1,68,400

12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,48,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Primary School, **Village-Baranji (Khaspara)**	
			Solar Lighting System	0.20
			Drinking and Domestic Water Facility	0.30
			Sanitation Facility	0.30
			Total	**0.80**

14. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी क्रमांक 22250ILG002421 दिनांक 01/11/2021 (राशि रूपये 1,48,000/–) जमा किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2010/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 15.83 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बड़ांजी) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बड़ांजी) को मिलाकर कुल रकबा 17.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बड़ांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मड़का राम, आदिवासी हरिजन स्टोन क्रशर को–आपरेटिव सोसायटी) की ग्राम–बड़ांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर के खसरा

क्रमांक 207/13(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

5. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाए तथा कार्यपूर्ण उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स भैसगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करन मानुशाली), ग्राम–भैसगांव, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1763)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 224584/2021, दिनांक 13/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैसगांव, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1057, कुल क्षेत्रफल– 1.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,280 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भैसगांव का दिनांक 07/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 390/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1893/खनिज/ख.लि. 4/19/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1895/खनिज/ख.लि.4/19/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/ख.लि. 4/19/2020–21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मितेश भानुशाली के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला–बस्तर, के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./08 जगदलपुर, दिनांक 01/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 0.3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भैसगांव 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–भैसगांव 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,44,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,82,600 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,54,340 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,084 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	28,260	षष्टम	28,260
द्वितीय	28,260	सप्तम	28,260
तृतीय	28,260	अष्टम	28,260
चतुर्थ	28,260	नवम	28,260
पंचम	28,260	दशम	28,260

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 687 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर होगा, जिसको 7.5 मीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना उपयुक्त नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Government Primary School, **Village-Bhaisgaon**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.25
			Total	**0.85**

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की

दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 399वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की

दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार प्रबंधन प्लान योजना समाहित कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कोरपाल (सीजी) लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामगोपाल नेताम), ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1653)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /212239/2021, दिनांक 14/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 201, कुल क्षेत्रफल–1.92 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,462.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तुसेल का दिनांक 25/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक

10/खनिज/उ.यो./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/04/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/ख.लि.4/07/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/ख.लि. 4/07/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 870/खनिज/ख.लि.4071/2020–21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जो कि अपेक्षणीय है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर सामान्य वन मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/भा.वि./428 जगदलपुर, दिनांक 28/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा संरक्षित वन क्षेत्र से 0.507 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोरपाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 9 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,16,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,32,282 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,19,036 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.904 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,745 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अस्थाई स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,200
द्वितीय	13,200
तृतीय	13,200
चतुर्थ	13,200
पंचम	13,200

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	13,200
सप्तम	13,200
अष्टम	13,200
नवम	13,200
दशम	13,462

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 975 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **पीयर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को पीयर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 13,745 घनमीटर है, जिसको लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 2.95 मीटर की ऊंचाई तक भंडारण कर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक भंडारण किया जाना संभव नहीं है। ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत किये जावे।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार भूमि श्रीमती सखनी एवं श्री बदुरू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/त. अधि./1914 जगदलपुर, दिनांक 27/08/2021 से जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 0.507 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 16 कि.मी. की दूरी पर है।

3. रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 556/खनिज/उत्ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 25/09/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 17,101 घनमीटर है, जिसमें से 3,904 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा शेष 13,197 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 205, क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।

4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति ग्राम कोरपाल के सार्वजनिक नाला एवं पेयजल की आपूर्ति हेण्डपम्प से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village-Korpal**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Total	**0.75**

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.अधि./1608 जगदलपुर, दिनांक 31/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 507 मीटर एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 16 कि.मी. की दूरी पर है।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत तुलेल का दिनांक 28/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है।

4. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/खा.शि.4/07/2020–21/ज.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–कोरपाल) का रकबा 1.92 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कोरपाल (सैली) लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामगोपाल नेताम) की ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 201 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.92 हेक्टेयर, क्षमता – 13,462 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कर्मा मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिलोक कर्मा), ग्राम–खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1713)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/212758/2021, दिनांक 24/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट),

363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.34 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,560 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिलोक शर्मा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.34 हेक्टेयर, क्षमता–10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 335/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 09/06/2012 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	10,005
2019–20	10,005
2020–21	10,005

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुर्सीपार का दिनांक 23/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2018/367(2) रायपुर, दिनांक 21/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.912 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.

02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री त्रिलोक शर्मा के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2018 से 04/10/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/5292 राजनांदगांव, दिनांक 14/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुसीपार 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–खुसीपार 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल डोंगरगांव 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। नाला 0.05 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,69,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 1,80,010 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 760 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,005
द्वितीय	10,005
तृतीय	10,005
चतुर्थ	10,005
पंचम	10,005

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	10,005
सप्तम	10,560
अष्टम	10,560
नवम	10,350
दशम	10,350

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 750 नग पौधे 15 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 105 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 80 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्व्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government High School, **Village-Khursipar**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation with fencing	0.25
			Total	**0.60**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्व्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5328/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,03,000 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,80,007 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,42,493 टन है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 30 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 20 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 166 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1528/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.912 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खुसीपार एवं भाखरी) का रकबा 1.34 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खुसीपार एवं भाखरी) को मिलाकर कुल रकबा 3.252 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित

खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शर्मा मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिलोक शर्मा) की ग्राम–खुर्सीपार एवं भावरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.34 हेक्टेयर, क्षमता – 10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परेरी परमिट स्टोन क्वारी), ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1815)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228815/2021, दिनांक 11/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–0.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुपराज सिंह चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घांटी का दिनांक 27/06/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम सिरखोला के पंचों का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1253/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1278/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1277/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 33/खनिज/अनुज्ञा पत्र/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./2021/2386 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 07/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरखोला 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिरखोला 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सिरखोला 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.1 कि.मी. दूर है। मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,46,419 टन (56,315 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 80,648 टन (31,018 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 78,229 टन (30,088 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,178 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है, जिसमें से 9 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है तथा कुल माल 724 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	51,711
द्वितीय	26,390

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 545 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथालोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

16. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन,

2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उपरोक्त विवरण अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के आचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1898/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चयनित वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 20,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,37,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,77,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत उपयोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा स्कूल में आवासित, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था/रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1998/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सिरखोला) का रकबा 0.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सिरखोला) को मिलाकर कुल रकबा 2.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्पररी परमिट स्टोन क्वारी) की ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 140 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.58 हेक्टेयर, क्षमता – 51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) पर स्थापना करने तथा साथ ही स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था/रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्पररी परमिट स्टोन क्वारी), ग्राम–लाखनटोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1816)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228847/2021, दिनांक 11/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लाखनटोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 522, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–91,787 टन (35,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुपराज सिंह चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लाखनटोला का दिनांक 30/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1252/खनिज/उत्खनन यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1275/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1274/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, कॉप, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 225/खनिज/अनुज्ञा पत्र/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 11/02/2021 द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/रा.अ./2021/2539 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लाखनटोला 1.6 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–लाखनटोला 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 3.6 कि.मी. दूर है। मैनसुन नदी 3.5 कि.मी. एवं मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा 19 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,90,000 टन (1,50,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 1,89,429 टन (72,857 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,83,746 टन (70,671 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है, जिसमें से 9 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,630 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	91,767
द्वितीय	84,162

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 735 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" की तरह (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 20,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,37,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,77,500 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था/रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1276 / खनिज / उ.प. / 2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—लाखनटोला) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परेरी परमिट स्टोन क्वारी) की ग्राम—लाखनटोला, तहसील—भरतपुर, जिला—कोरिया के खसरा क्रमांक 522 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर, क्षमता — 91,767 टन (36,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट—05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) पर स्थापना करने तथा साथ ही स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था / रख—रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बरांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.— कुसुम सुजलमान), ग्राम—बरांजी, तहसील—लोहांडीगुड़ा, जिला—बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 705)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74535 / 2018, दिनांक 14 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 50073 / 2018, दिनांक 25 / 01 / 2020 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम—बरांजी, तहसील—लोहांडीगुड़ा, जिला—बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 207 / 13, कुल क्षेत्रफल—1.619 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—12,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2019 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 28/01/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/10/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि तकनीकी सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आवेदन को समिति की दिनांक 08/12/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी के साथ दिनांक 08/12/2020 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(इ) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(ई) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/10/2020, 06/11/2020, 07/12/2020 एवं 08/12/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत बड़ांजी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोडिफिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /बस्तर/चूप/खमो–1128/2017–रायपुर/919 रायपुर, दिनांक 06/01/2018 (अवधि 2017–18 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.02/स.प.04/94/2018 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 22.56 हेक्टेयर हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी ग्राम–बजावंड 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–बजावंड में 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बजावंड 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इंद्रावती नदी 1.15 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./147 जगदलपुर, दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती कुसुम तुलस्यान के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों के लिए 06/01/1999 से 05/01/2049 तक की अवधि हेतु है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,78,162 टन एवं माईनेबल रिजर्व 65,088 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,120 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 1.34 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1999	8,903	2009	5,957.65
2000	14,689	2010	13,112.7
2001	8,348.44	2011	2,633.55
2002	35,484	2012	5,977.9
2003	23,643	2013	8,451.183
2004	9,149	2014	6,209.903
2005	12,467	2015	3,125.45
2006	8,848	2016	18,419.67

2007	7,141	2017	2,784.756
2008	5,785.55		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2017–18	11,760
2018–19	11,760

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.95 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) का वर्तमान में 0.138 हेक्टेयर क्षेत्र में रेस्टोरेशन (Restoration) किया गया है।

13. लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय रहवासियों द्वारा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल होने तथा उत्खनन कार्य से आपत्ति होने का उल्लेख किये जाने के कारण उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसके कारण माईनिंग प्लान में उत्पादन 12000 मीट्रिक टन/वर्ष से घटाकर 11760 मीट्रिक टन/वर्ष किया गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.14 से 33.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.38 से 63.98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.54 से 13.52 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{x}$ 9.82 से 19.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 48.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 42.4 डीबीए पाया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत दोनों विद्यालयों का अलग–अलग निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Nearby 1. Government Primary School, **Village- Traibhanta** 2. Government High School, **Village- Badanji**	
			Rain Water Harvesting System	1.20
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Running Water Facility	0.50
			Plantation with fencing	1.10
			Total	**3.60**

16. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 17/12/2019 दोपहर 12:00 बजे स्थान प्रेरणा हॉल (आस्था हॉल) जिला कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. खदान क्षेत्र के पास 20 फीट की दूरी पर निवास स्थल है, जिससे घरों में धूल एवं ब्लास्टिंग का प्रभाव पड़ता है।

    ii. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

    लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

    i. खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार:– गौण खनिजों के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति – के तहत् छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है, के नियम 6(2)(ग) में किये गये प्रावधान अनुसार ग्रामीण कच्चे रास्ते से सभी दिशाओं में 10 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण मार्ग को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थान से सभी दिशाओं में 50 मीटर के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने पर निर्बंधन है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल से दूरी रखे जाने हेतु उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

    ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–

I. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/08/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology के अनुसार निम्न गणना होती है:–

EC=PIxNxRxSxLF Where, EC - Environmental compensation in Rs. PI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of violation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 21,204.426) / 12,000 = 442

Environment Compensation = 80x442x100x0.5x0.5 = Rs. 8,84,000/-

II. जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि रुपये 6,92,000 /- (Damage Cost) का प्रस्तुत किया गया है।

III. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/- रुपये निर्धारित की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 8,84,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पिंकुश हेतियाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पावती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/09/2021 द्वारा Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 8,84,000/- रूपये की बैंक गारंटी जमा करने की सूचना दी गई है।
3. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति द्वारा नोट किया गया कि लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण में खदान से सन्निपक्ष घर 21 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। कलेक्टर द्वारा कुल लीज एरिया 1.619 हेक्टेयर में से बफरिंग एरिया कम करते हुये माईनिंग कार्य करने बाबत् संशोधित प्लान प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है, जिसमें बस्ती से 200 मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य नही किया जायेगा तथा बण्ड बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतः सन्निपक्ष घर से 200 मीटर छोड़कर माईनिंग कार्य किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि के उपयोग के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है:–

Activity	Amount (Lakh)
Solar Panal System Govt primary and Middle, **Village-Baranji,** System Govt. primary and Middle, **Village-Taraibhata**	2.00
Solar Street lighting System Govt. primary and Middle, **Village-Baranji**	0.64
Rain Water Harvesting System Govt. primary and Middle, **Village-Baranji**	1.20
Running Water Facility for Toilets	11.20
Potable Drinking Water Facility Govt. primary and Middle, **Village-Baranji**	2.00
Plantation along the Transportation Route with Fencing	3.00
Total	**8.84**

Environment Compensation के तहत् वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पहुंच मार्ग (Transportation Route) में 600 नग पौधों के लिए राशि 90,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 7,50,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. **Environment Compensation** की राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर में जमा किया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,174 नग वृक्षारोपण कार्य एवं रख–रखाव किये जाने हेतु प्रथम वर्ष में राशि 2,93,500/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है एवं वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष 1,17,400 रूपये 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर में जमा किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण अनुसार कार्य पूर्णता उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए, जिसका सत्यापन उपसमिति के द्वारा किया जाएगा।
3. समीपस्थ घर से 200 मीटर छोड़कर माईनिंग कार्य किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड खिर्रालेवा–बी (प्रो.– श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम–खिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1603)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 203439/2021, दिनांक 14/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 22/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,361 टन प्रतिवर्ष से 1,43,840 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 27/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31/12/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/ख.लि./अ.अनु./न.क्र./21 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
13/03/2020 से 30/06/2020 तक	10,191
01/07/2020 से 31/12/2020 तक	29,200

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनवरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 388/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019 नवा रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1872/क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, 3.2 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1414/क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – भूमि शासकीय भूमि है। लीज श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2020 से 12/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2073 महासमुंद दिनांक 22/06/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छिर्रालेवा 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–छिर्रालेवा 0.55 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,43,226 टन, माईनेबल रिजर्व 1,51,368 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,43,798 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,840 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,136 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,43,840
द्वितीय	7,464

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 622 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य शेष है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram Panchayat Bhawan School, **Village – Kotendarha**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.15
			Total	**0.50**

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् सी.ई.आर. के प्रस्ताव का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनर्भराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज क्रमशः दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1111/क/खलि/अ.आ./न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर है।

2. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति मार्केट से क्रय (Packed drinking water) करके की जाएगी।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् सी.ई.आर. के प्रस्ताव अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा रनिंग वॉटर की सुविधा के संबंध में कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनर्भराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 6) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 15, 16, 21 एवं 29) का पालन नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार बेंच वाईस उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को अनुरोध किया जाए।

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1443/क/ख.लि./उ.प./21 महासमुंद, दिनांक 28/09/2019 द्वारा पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
   - "उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 एवं नियम 58 का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 61(26) के तहत् अनुज्ञाधारी को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5,000 रूपये अर्थदण्ड का चार गुणा रूपये 20,000 दिनांक 28/01/2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।
   - खनि निरीक्षक जांच एवं प्रतिवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना में बेंच निर्माण किया जाना था जो नहीं किया गया है। बेंच निर्माण के अंतर्गत 1,534 घनमी. पत्थर खनिज में से 900 घनमीटर खनिज का परिवहन विधिसम्मत नहीं है शेष खनिज स्वीकृत क्षेत्र के अंदर स्टॉक रखा गया है साथ ही बगैर विधि सम्मत बेंच निर्माण हेतु प्रावधानित क्षेत्र में से 900 घ.मी. अवैध रूप से निकासित किया गया है। जो कि वैधानिक नहीं है मान कर अर्थदण्ड रूपये 2,68,000 दिनांक 28.09.2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।"
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। परंतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्ष 2021 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 73/क/खनि/म.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/01/2022 द्वारा वित्त वर्ष 2021 में 68,363 टन उत्खनन किया है।

3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1740, दिनांक 15/02/2022 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1741, दिनांक 15/02/2022 द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 251/क/ख.लि./उ.प./21 महासमुंद, दिनांक 18/02/2022 के अनुसार लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

3. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1111/क/खलि/अ.आ./न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–छिर्रालेवा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–छिर्रालेवा) को मिलाकर कुल रकबा 4.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पृथक से कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बालबचिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिर्रालेवा–बी (प्रो.– श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल) की ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 97 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता 75,435 टन से अधिक न हो, हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट क्वारी (प्रो.– श्री शैलेन्द्र दुबे (पुजारी)), ग्राम–जोगीडीह, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1558)**

प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 188867 / 2021, दिनांक 17 / 02 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08 / 03 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता के विस्तारीकरण का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोगीडीह, तहसील व जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84 एवं 198, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–94,920 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थिति के उपरांत तकनीकी समस्या होने के कारण वो समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं हो सका। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19 / 06 / 2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 / 06 / 2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 19 / 06 / 2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 19 / 06 / 2021:
प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

i. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में क्वार्टजाईट माईन खसरा क्रमांक 84 एवं 198, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 11,320 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा दिनांक 04 / 10 / 2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित कालावधि के लिए मान्य थी।
   - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), से विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लीलर का दिनांक 04/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ द अप्रूव्ड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1256/जियो./क्वारी स्कीम/प्लान नं. 40/2017 रायपुर, दिनांक 19/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 935/खा./2020 धमतरी, दिनांक 10/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री योगेश डाकलिया के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों की दिनांक 03/05/2019 से 02/05/2049 तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./6494 धमतरी, दिनांक 22/12/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बागोडार 0.65 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बागोडार 0.65 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,46,724 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,26,980 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर, तथा कुल मात्रा 13,900 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार 8,430 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को स्वयं की भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का

प्रस्ताव किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान एवं क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	94,920
2021–22	94,920
2022–23	92,400
2023–24	94,080
2024–25	94,080

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
75	2%	1.50	Following activities at Government School, **Village – Bagodar**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Solar Lighting System	0.50
			Plantation	0.50
			Total	**1.50**

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.98 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया गया है, जो दिनांक 14/06/2022 तक वैध है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। समिति का मत है कि माईनिंग प्लान में क्रशर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग प्लान में कवर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. स्थल निरीक्षण उपरांत समस्त व्यय (Capital Cost) को शामिल कर, सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/10/2021, 29/11/2021 एवं 03/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 29/11/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 11 एवं 17) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 8 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 13, 19, 25, 29 एवं 30) का पालन नहीं किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 968/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 16/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

3. कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1045/जियो/क्वारी स्कीम/प्लान नं. 40/2017 रायपुर, दिनांक 30/07/2021 द्वारा लीज क्षेत्र में कवर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जियोलॉजिकल रिजर्व 10,46,724 टन एवं माईनेबल रिजर्व 7,88,340 टन है।

4. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 967/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 16/07/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्सर्जन (टन)
2019	1,140.64
2020	997.2

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	2%	2.0	Following activities at Government Primary School, **Village – Bagodar**	
			Rain Water Harvesting System	1.50
			Plantation	0.50
			Total	**2.00**

प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एवं वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण शर्तों का पालन पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र में बाउण्ड्री पिल्लर लगाकर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/02/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नवसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के शर्त क्रमांक 2, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 29 एवं 30 का पालन नहीं किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के कारण उनके द्वारा आंशिक पालन एवं पालन नहीं किया गया। उनके द्वारा 6 माह में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति का मत है कि प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 442/खनिज/ख.लि./2022 धमतरी, दिनांक 18/02/2022 के अनुसार स्वीकृत उत्खननपट्टा क्षेत्र में सभी सीमास्तंभ तथा सीमा स्थापित है।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् 500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 33,370 रूपये, तथा रख–रखाव के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,91,850 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 935/खा./2020 धमतरी, दिनांक 10/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–जोगीडीह) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 2, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 29 एवं 30 का पालन पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स

सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट क्वारी (प्रो.– श्री शैलेन्द्र दुबे (पुजारी)) की ग्राम–जोगीडीह, तहसील व जिला–धमतरी के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84 एवं 198 में स्थित क्वार्टजाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता – 94,920 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री नारायण यादव (सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1546)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 196106 / 2021, दिनांक 05 / 02 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण खदान की उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान की उत्पादन क्षमता 3,911 टन प्रतिवर्ष है। खदान ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 937, कुल क्षेत्रफल–1.31 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,407 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 01 / 03 / 2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 03/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण यादव, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 837, कुल क्षेत्रफल–1.313 हेक्टेयर, क्षमता–3,911 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/खनि./खनिज/उ.प./21 कबीरधाम, दिनांक 11/06/2021 द्वारा वित्त वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2015–16	3,293
2016–17	2,009
2017–18	1,870
2018–19	3,737.7
2019–20	3,754

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 05/11/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2274/2/खनि/पू.प./उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 28/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/98/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 15/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/97/ख.लि./खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 15/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री नारायण यादव के नाम पर है। लीज डीड 06 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/06/2015 से 02/06/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज के विस्तारीकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती सत्यवती के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./798 कवर्धा, दिनांक 19/01/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवापारा 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवापारा 0.17 कि.मी. एवं अस्पताल सहसपुर लोहारा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। कर्रा नदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,19,673 टन, माईनेबल रिजर्व 1,69,563 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,61,075 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,195 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,700 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,375
द्वितीय	7,996
तृतीय	6,937
चतुर्थ	7,996
पंचम	8,407

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">55</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">1.55</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village-Nawapara</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting</td><td>0.65</td></tr>
</table>

			System	
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**1.10**

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उक्त समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। लीज के विस्तारीकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया जाना बताया गया है।

3. जल की आपूर्ति हेतु नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 11/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/10/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 17) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 10 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 30 एवं 31) का पालन नहीं किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/835/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई खदान संचालित नहीं है का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. शासकीय प्राथमिक शाला, स.लोहारा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य किए जाने हेतु प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला, स.लोहारा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज डीड विस्तारिकरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण शर्तों का पालन पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण नहीं किया गया है। उक्त शर्त का पूर्ण पालन करने पश्चात् प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 25/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ड) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज डीड श्री नारायण यादव के नाम पर है। लीज डीड 06 वर्ष अर्थात् दिनांक 03/06/2015 से 02/06/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 28/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कवीरधाम, दिनांक 06/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 30/06/2020 के नियम 38–क के उप नियम (4) एवं (8) के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति उपरांत आपका स्वीकृत उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 01/06/2026 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 30 एवं 31 का पालन पूर्ण कर प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व बैठक में गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया था। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/635/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई खदान संचालित नहीं होना बताया गया है।
4. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि आगामी मानसून अवधि में परियोजना प्रस्तावक 5 फीट ऊंचाई के उपयुक्त प्रजाति के पौधों का सघन वृक्षारोपण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शर्त पर विचार किया जा सकता है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/635/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सहसपुर लोहारा) का रकबा 1.31 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री नारायण यादव (सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन्स) की ग्राम–सहसपुर लोहारा,

तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 937 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.31 हेक्टेयर, क्षमता – 8,407 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में 5 फीट ऊंचाई के उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित (with geotag) तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1551)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 197220 / 2021, दिनांक 08 / 02 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18 / 02 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26 / 05 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218 / 1, 1218 / 2, 1219 / 1, 1219 / 2, 1228 / 1 एवं 1229(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 26,317.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष पालीवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 27 / 11 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक

796 / खनि02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क.06 / 2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 06 / 02 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / 3672 / खनि.लि.02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 30 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.974 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / 3673 / खनि.लि. 02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 30 / 01 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. आशीष पालीवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / 3632 / खनिज / उ.प. / 2021 दुर्ग, दिनांक 23 / 01 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1219 / 1, 1219 / 2, 1218 / 1, 1218 / 2, 1228 / 1 श्री मुकेश चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1216(पार्ट), 1217(पार्ट) श्रीमती विमला चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 1229(पार्ट) श्री नेपाल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / तक.अधि. / 2020 / 4422 दुर्ग, दिनांक 11 / 11 / 2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाठा 1.6 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–धौराभाठा 1.6 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, माईनेबल रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,96,735 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,440 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,317	छटवें	20,197
द्वितीय	25,046	सातवें	19,991
तृतीय	25,271	आठवें	10,054
चतुर्थ	24,218	नवम	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,518

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए माईनिंग प्लान अनुसार 293 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, **Village – Dhaurabhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमवंत चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की संभावित आयु 5 वर्ष उल्लेखित है। जबकि वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन के विवरण में 10 वर्षों की योजना का उल्लेख है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. के विस्तृत प्रस्ताव के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संशोधित क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 183/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित नहीं है।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. के साथ संलग्न नक्शे में आवेदित क्षेत्र के चिन्हांकन का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित है। नक्शे के अनुसार लीज क्षेत्र का चिन्हांकन पत्र प्रस्तुत किया है। उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी होने उपरांत ही आवेदित क्षेत्र लीज क्षेत्र होगा एवं तदोपरांत ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 48 के प्रावधानों अनुसार सीमांकन किया जाकर सीमा चिन्ह स्थापित हो सकेंगें।
2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों में से 1 खदान को पट्टेदार द्वारा दिनांक 08/02/2021 को खदान संचालन में असमर्थता व्यक्त करते हुये खदान बंद करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है एवं अन्य दूसरी खदान में कार्यानुमति दिनांक 24/01/2018 से आज दिनांक तक खनिज का प्रेषण नहीं किया जाना बताया गया है। उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही प्रचलित होने का उल्लेख है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलादिकृष्ण तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स बड़ांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मड़ड़ा राम, आदिवासी हरिजन स्टोन क्रशर को–आपरेटिव सोसायटी) को खसरा क्रमांक 207/13(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर, ग्राम–बड़ांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर में चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. उत्खनन क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर (मुख्य खनिज) का अधिकतम उत्खनन 10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half Yearly) प्रेषित की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियॉं, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू-जल के उपयोग (यदि हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) कार्य खदान प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए। रेस्टोरेशन उपरांत लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Primary School, **Village-Baranji (Khaspara)**	
			Solar Lighting System	0.20
			Drinking and Domestic Water Facility	0.30
			Sanitation Facility	0.30
			Total	**0.80**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,100 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022—23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 450 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

22. वृक्षारोपण का रख—रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज केपेसिटी सहित) लगाया जाए।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

26. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

27. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

29. खनिज का उत्खनन अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

30. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका

अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स कोरपाल (सौंसी) लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामगोपाल नेताम) को खसरा क्रमांक 201, कुल लीज क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर, ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 13,462 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.92 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 13,462 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेन्टली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">30</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">0.60</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village-Korpal</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting system</td><td>0.60</td></tr>
</table>

			Potable Drinking water Facility	0.15
			Total	**0.75**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 675 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज केपेसिटी सहित) लगाया जाए।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स शर्मा मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिलोक शर्मा) को खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 1.34 हेक्टेयर, ग्राम–खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.34 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,560 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government High School,	

			Village-Khursipar	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation with fencing	0.25
			Total	**0.60**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,350 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 350 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परारी परमिट स्टोन क्वारी) को खसरा क्रमांक 140, कुल लीज क्षेत्र 0.58 हेक्टेयर, ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.58 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान पर (खसरावार विवरण सहित) निर्माण करने तथा साथ ही स्कूल के आलमिरा में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था/रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकेनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

"पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 20,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,37,500 रूपये, इस

प्रकार कुल राशि 3,77,500 रूपये 5 वर्ष हेतु पटवकवार व्यय तथा स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकें, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप किया जाए।

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

18. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 545 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022—23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

20. वृक्षारोपण का रख—रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय—समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे—छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू—जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू—जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**<u>मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्पररी परमिट स्टोन क्वारी)
को खसरा क्रमांक 522, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–लाखनटोला,
तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन –
91,767 टन (35,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली
शर्तें</u>**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 91,767 टन (35,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन' के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान पर (खसरावार विवरण सहित) निर्माण करने तथा साथ ही स्कूल के आलमिरा में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) की व्यवस्था/रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, पौधों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट स्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंटस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

"पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 20,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,37,500 रूपये, इस

प्रकार कुल राशि 3,77,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय तथा स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकें, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप किया जाए।

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

18. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 735 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति मे दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध मे की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.   अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिर्रालेखा–बी (प्रो.– श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 97, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–छिर्रालेखा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 2 वर्षों में कुल क्षमता 75,436 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता 75,436 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना से उत्खनित साधारण पत्थर को शासकीय कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाईंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ

उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram	

			Panchayat Bhawan School, **Village – Kotendarha**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.15
			Total	**0.50**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

19. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प क्षेत्र में 622 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

21. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

25. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–07

मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाइट क्वारी (प्रो.– श्री शैलेन्द्र दुबे (पुजारी)) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84 एवं 198, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–जोगीडीह, तहसील व जिला–धमतरी में क्वार्टजाइट (गौण खनिज) उत्खनन – 94,920 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 5 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्टजाइट का अधिकतम उत्खनन 94,920 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करावाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 2, 7, 11, 13, 17, 19, 26, 29 एवं 30 का पालन पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ

उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. खुदाई, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

100	2%	2.0	Following activities at Government Primary School, **Village – Bagodar**	
			Rain Water Harvesting system	1.50
			Plantation	0.50
			Total	**2.00**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

18. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कैपेसिटी सहित) लगाया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

25. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

30. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं

आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री नारायण यादव (सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन) को खसरा क्रमांक 937, कुल लीज क्षेत्र 1.31 हेक्टेयर, ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 8,407 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.31 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 8,407 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में 5 फीट ऊंचाई के उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित (with geotag) तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण पालन का पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्वतः निरस्त माना जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर

प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. खनिज का परिवहन मेकेनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
			Following activities at Government Primary School, **Village-Nawapara**	
55	2%	1.55	Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**1.10**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

18. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 400 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कैपेसिटी सहित) लगाया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को

इयरप्लग/मास्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

25. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में ही जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.